

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

6

अधिसूचना

संचिका सं०- प्र०/आयोग निजी-०६/२०१५ - १

पटना, दिनांक- २२-०२-१९

श्री राजीव अमित, सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त) नियमावली २००३ के नियम-६ (i) एवं अखिल भारतीय सेवा छुट्टी नियमावली-१९५५ के अनुसार निम्नांकित छुट्टियाँ स्वीकृत की जाती है:-

१. रूपांतरित अवकाश:-

दिनांक- १५.०९.२०१८ से १४.१०.२०१८ (कुल ३० दिन)

(कुल ६० दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी को रूपांतरित करते हुए)

२. उपार्जित अवकाश:-

दिनांक १५.१०.२०१८ से ०६.११.२०१८ तक (कुल २३ दिन)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनोदा नन्द झा),

सरकार के संयुक्त सचिव।